न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 943–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–01–2015 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद के प्रकरण कमांक 309/अपील/2012–13

....

संतोष कुमार आ0 गंगाविशन गौर
निवासी फुलडी तहसील रहटगॉव
जिला हरदा म0प्र0

.... आवेदक

विरूद्ध

रामनिवास गौर आ0 रामेश्वर गौर
निवासी ग्राम फुलडी तहसील रहटगॉव
जिला हरदा
हाल निवासी मकान नं. 1199 हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी,
करोदकलॉ भोपाल म0प्र0

.... अनावेदक

....

श्री नितिन स्थापक, अभिभाषक–आवेदक
श्री संजय गौर, अभिभाषक–अनावेदक

....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 6/10/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–01–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि मौजा फुलडी तहसील टिमरनी में स्थित भूमि सर्वे कमांक 34/4 रकबा 1.769 हेक्टेयर के सीमांकन कराये जाने पर सीमांकन में 0.75 एकड़ भूमि पर अनावेदक का अनाधिकृत कब्जा पाये जाने पर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र कब्जा दिलाये हेतु प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 13/अ–70/2012–13 दर्ज कर दिनांक 10–6–2013 को आदेश पारित करते हुये अनावेदक को बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकरी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–7–2013 आदेश पारित कर अपील स्वीकार कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 22–1–2015 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से कहा गया कि आवेदक के आधिपत्य की रकबा 1.769 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन कराये जाने पर सीमांकन में अनावेदक का आवेदक की उक्त भूमि के 75 डिसमिल भू–भाग पर अनाधिकृत आधिपत्य होना पाया गया । अनावेदक द्वारा अनाधिकृत आधिपत्य नहीं हटाने पर आवेदक ने विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें अनावेदक को आवेदक की भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये गये, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त करने में त्रुटि की गई तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा भी अवैधानिकता की गई है । लिखित तर्क में यह भी कहा गया अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने इस तथ्य की अनदेखी की है आवेदक के अपनी भूमि के सीमांकन कराने से पहले अनावेदक ने अपनी भूमि का सीमांकन कराया था, जिसमें अनावेदक का आवेदक की 0.75 एकड़ भूमि पर अनावेदक का अनाधिकृत कब्जा पाया गया था, इसलिये अपीलीय

न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । लिखित तर्क में यह भी आधार लिया गया कि विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि आवेदक द्वारा कराये गये सीमांकन दिनांक 20–5–12 को अनावेदक मौके पर उपस्थित था, किन्तु पंचनामा बनने से पहले ही वहाँ से चला गया, क्योंकि उसने अपनी भूमि का सीमांकन दिनांक 14–4–12 को पहले ही कराकर इस तथ्य को ज्ञात कर लिया था कि उसका आवेदक की भूमि पर अनाधिकृत आधिपत्य है । ऐसे पंचनामे पर हस्ताक्षर करने से बचने के लिये अनावेदक मौके पर से चला गया और पंचनामे पर हस्ताक्षर नहीं होने का आधार लेकर प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय से दुरभि संधि कर त्रुटिपूर्ण विधि विपरीत आदेश प्राप्त कर लिये गये हैं, जो न्यायसंगत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से कहा गया कि आवेदक द्वारा कराये सीमांकन दिनांक 20–5–2015 की जानकारी अनावेदक को नहीं थी एवं सीमांकन के मूलभूत आवश्यक प्रावधान के, तहत पड़ोसी कृषक को आवश्यक रूप से वैधानिक सूचना जारी होना चाहिये, जिसका प्रकरण में अभाव रहा है, इस कारण से उक्त सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 की कार्यवाही अन्यायपूर्ण है, क्योंकि सीमांकन किये जाने में विधिक प्रिक्रिया का पालन नहीं किया गया है । इस महत्वपूर्ण तथ्य पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा ध्यान दिया जाकर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में विधिसंगत एवं न्यायसंगत कार्यवाही की गई है । अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् आवेदक को सूचना जारी की गई है, जिसे उसके द्वारा लेने से इंकार किया गया है, अतः तहसीलदार द्वारा आवेदक की अनुपस्थिति में आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । तहसीलदार द्वारा विधिवत् एवं तथ्यों व विधि की विस्तार से विवेचना

करते हुये आदेश पारित किया गया है जो कि विधिसंगत आदेश है, परन्तु उपरोक्त वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है और चूँकि अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश की पुष्टि आयुक्त द्वारा की गई है, इसलिये उनका आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत एवं औचित्यपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–01–2015 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–07–2013 निरस्त किये जाते हैं । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–06–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 942–पीबीआर/2015 (गंगाविशन आ0 बालकिशन गौर विरूद्ध रामनिवास आ0 रामेश्वर गौर) प्रर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर